



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 पौष 1940 (श0)
(सं0 पटना 63) पटना, वृहस्पतिवार, 17 जनवरी 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

17 जनवरी 2019

एस० ओ० 18, दिनांक 17 जनवरी 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 249, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या- 982, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

- (i) सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं. 1 के सामने प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का उपयोग, जब निर्यात, ऐसे निर्यातों के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के पश्चात् पहले ही कर दिया गया हो, कराधेय माल (शून्य दर या पूर्णतः छूटप्राप्त माल से भिन्न) के विनिर्माण और पूर्ति में किया

जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र, बिहार माल और सेवा कर के अधिकारिता वाले आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी पूर्ति के छह मास के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो, ;

परंतु यह और कि यदि निर्यात माल के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया गया है तो ऐसा प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा । ” ;

(ii) स्पष्टीकरण में क्रम संख्या 1 के सामने “पूर्व आयात आधार पर” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-4) 251)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

17 जनवरी 2019

एस० ओ० 18 दिनांक 17 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-4) 251)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 17th January 2019

S.O. 18, Dated 17th January 2019— In exercise of the powers conferred by section 147 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Commercial Taxes Department notification No S.O. 249 dated the 18th October, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 982, dated the 18th October, 2017, namely:

In the said notification,

(i) In the Table, the column number (2) against S. No.1, after the entry, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that goods so supplied, when exports have already been made after availing input tax credit on inputs used in manufacture of such exports, shall be used in manufacture and supply of taxable goods (other than nil rated or fully exempted goods) and a certificate to this effect from a chartered accountant is submitted to the jurisdictional commissioner of GST or any other officer authorised by him within 6 months of such supply,;

Provided further that no such certificate shall be required if input tax credit has not been availed on inputs used in manufacture of export goods.”;

- (ii) In the Explanation against serial number 1 the words “on pre-import basis” shall be omitted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-4) 251)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 63-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>